पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
76/2013	6.05.2013	27.10.2014

[illegible] पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत निवासी छाबा तहसील गंगापुरसिटी ---वादी

बनाम

1. [illegible] पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत निवासी छाबा तहसील गंगापुरसिटी
2. श्रीमती गोमती देवी पत्नि बनवारी लाल पाराशर जाति ब्राह्मण निवासी महूखुर्द तहसील गंगापुरसिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुरसिटी ---प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित– श्री रामभरोसी जोशी, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 436 रकवा 1.04 हैक्टर, 441 रकवा 0.33 हैक्टर, 443 रकवा 1.20 हैक्टर, 444 रकवा 0.34 हैक्टर, 463 रकवा 0.17 हैक्टर, 446 रकवा 0.33 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकवा 3.41 हैक्टर ग्राम छाबा तहसील गंगापुरसिटी वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता के जीवनकाल से ही साथ रहकर काश्त करते आ रहे है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सोनसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद वादी उपरोक्त आराजी में हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 के खातेदार हो गये तथा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त आराजी को मौखिक रूप से आधी आधी बांट ली तथा वादी और प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी ख0नं0 436 में से अपने हिस्से की आधी भूमि में से आधी भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेच दी। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है और अपने पिता की मृत्यु के बाद से उपरोक्त आराजी का बराबर बराबर बंटवारा करके अपने अपने हिस्से की भूमि पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। पिछले करीब 4-5 वर्षो से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर आ गया है। प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादी से झगडा व मारपीट करने लग गया तथा वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में पैदा की गयी फसल बाजरा को दिनांक 23.07.2011 को जबरन ले गया, जिसकी वादी ने पुलिस थाना गंगापुरसिटी में रिपोर्ट कर दी। पुलिस थाना गंगापुरसिटी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादी की फसल बाजरे की बरामद की तथा प्रतिवादी के विरूद्ध ए0सी0जे0एम0 साहब गंगापुरसिटी के न्यायालय मे चालान पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 शामिल में खाता होने व रिकार्ड में बंटवारा अंकित नही होने से वादी की काश्त मे मजाहमत पैदा करता रहता है। दिनांक 16.07.2012 को भी प्रतिवादी संख्या 1 अपने लडको लव व कुश के साथ लाठी डंडे लेकर आ गये और वादी की काश्त में बाधा डाली, जिसकी रिपोर्ट वादी ने पुलिस उप अधीक्षक गंगापुरसिटी को दी, तब जाकर वादी ब मुश्किल अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर सका। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 22.04.2013 को गांव में एलानियां कहता फिर रहा था कि यदि वादी अपने हिस्से की भूमि में काश्त करने जायेगा तो जान से मार दूंगा। प्रतिवादी झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके दोनो लडके जवान हो गये है तथा उसकी नियत में फितूर आ गया है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खाता एक ही है तथा भूमि सरकार के रिकार्ड में बंटी हुई नही है। इस कारण पूरी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी कुत्सित हरकतों से तब तक बाज नही

[illegible] उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

[illegible]	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2013	6.05.2013	27.10.2014

[illegible] पुत्र कोमसिंह जाति राजपूत निवासी छाबा तहसील गंगापुरसिटी --वादी

बनाम

1. [illegible] पुत्र कोमसिंह जाति राज़पूत निवासी छाबा तहसील गंगापुरसिटी
2. श्रीमति गोमती देवी पत्नि बनवारी लाल पाराशर जाति ब्राह्मण निवासी महूखुर्द तहसील गंगापुरसिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुरसिटी ---प्रतिवादीगण

<u>**दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**</u>

उपस्थित:- श्री रामभरोसी जोशी, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 436 रकवा 1.04 हैक्टर, 441 रकवा 0.33 हैक्टर, 443 रकवा 1.20 हैक्टर, 444 रकबा 0.34 हैक्टर, 463 रकवा 0.17 हैक्टर, 446 रकवा 0.33 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकवा 3.41 हैक्टर ग्राम छाबा तहसील गंगापुरसिटी वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता के जीवनकाल से ही साथ रहकर काश्त करते आ रहे है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कोमसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद वादी उपरोक्त आराजी में हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 के खातेदार हो गये तथा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त आराजी को मौखिक रूप से आधी आधी बांट ली तथा वादी और प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी ख0नं0 436 में से अपने हिस्से की आधी भूमि में से आधी भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेच दी। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है और अपने पिता की मृत्यु के बाद से उपरोक्त आराजी का बराबर बराबर बंटवारा करके अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। पिछले करीब 4-5 वर्षो से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर आ गया है। प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादी से झगडा व मारपीट करने लग गया तथा वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि मे पैदा की गयी फसल बाजरा को दिनांक 23.07.2011 को जबरन ले गया, जिसकी वादी ने पुलिस थाना गंगापुरसिटी में रिपोर्ट कर दी। पुलिस थाना गंगापुरसिटी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादी की फसल बाजरे की बरामद की तथा प्रतिवादी के विरूद्ध ए0सी0जे0एम0 साहब गंगापुरसिटी के न्यायालय मे चालान पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 शामिल में खाता होने व रिकार्ड में बंटवारा अंकित नही होने के [illegible] कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करता रहता है। दिनांक 16.07.2012 को भी प्रतिवादी संख्या 1 अपने लडको लव व कुश के साथ लाठी डंडे लेकर आ गये और [illegible] करने में बाधा डाली, जिसकी रिपोर्ट वादी ने पुलिस उप अधीक्षक गंगापुरसिटी [illegible] तब जाकर वादी व मुश्किल अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर सका। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 22.04.2013 को गांव में एलानियां कहता फिर रहा था कि [illegible] वादी अपने हिस्से की भूमि में काश्त करने जायेगा तो जान से मार दूंगा। प्रतिवादी [illegible] झगडालू प्रकृति का व्यक्ति है, जिसके दोनो लडके जवान हो गये है तथा [illegible] नियत में फितूर आ गया है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खाता एक ही [illegible]

अलग तक कि मौखिक रूप से किये गये विभाजन व उसके आधार पर हिस्सा अनुसार काबिज भूमि का सरकारी रिकार्ड में बंटवारा तथा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व हिस्से की भूमि का अलग बटा नम्बर डाला जाना तथा उसी प्रकार सरकारी रिकार्ड में अंकन नही कर दिया जावेगा तथा वादी के हिस्से की भूमि में किसी भी तरह का व्यवधान न डालने बाबत पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादी के शामिल की भूमि ख0नं0 436 मे से 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से खरीदी है, इस तरह सहखातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर ख0नं0 436 रकवा 1.04 हैक्टर, 441 रकवा 0.33 हैक्टर, 443 रकवा 1.20 हैक्टर, 444 रकवा 0.34 हैक्टर, 446 रकवा 0.33 हैक्टर, 463 रकवा 0.17 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकवा 3.41 हैक्टर स्थित ग्राम छाबा तहसील गंगापुर सिटी का मौखिक बंटवारा तथा मोके पर कब्जे के आधार पर हिस्सा बराबर सरकारी रिकार्ड में कब्जा अनुसार ट्रेस में बटा नम्बर डाला जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का खाता अलग अलग किया जावे जो बटा नम्बर वादी के हिस्से में आवे, वे वादी के नाम सरकारी रिकार्ड मे दर्ज किया जावे, इसके लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदारजी गंगापुरसिटी को आदेश दिया जावे कि वे किये गये बंटवारे को सरकारी रिकार्ड में अंकित करे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस तरह पाबंद किया जावे कि वह किसी भी तरह वादी को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा न तो स्वंय डाले न अन्य किसी से डलवाये। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी ग्राम छावा सम्वत् 2067–70 प्रदर्श–1 व नकल जमाबंदी ग्राम छावा सम्तव् 2067–70 प्रदर्श–2 पेश की है तथा स्वयं के बयान कराए हैं।

बहस विद्धान वकील वादी सुनी जाकर वादी का दावा दिनांक 21.1.2014 को प्राथमिक डिक्री किया गया एव नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वकील वादी को सुना गया । वकील वादी ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि विभाजन करने करने निवेदन किया है।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

आदेश

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. वादी नारायणसिंह पुत्र फोमसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी क़ी खातेदारी में भूमि ख0नं0 436/2 रकबा 52 एयर, ख0नं0 441 रकबा 33 एयर, ख0नं0 443 रकबा 44 एयर, ख0नं0 444/1 रकबा 17 एयर, ख0नं0 446/1 रकबा 16 एयर, ख0नं0 463/1 रकबा 9 एयर कुल रकबा 1.71 हैक्टर ग्राम छावा रहेगी।
2. प्रतिवादी चंदरसिंह पुत्र फोमसिंह जाति राजपूत सा0 छावा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 436/1 रकबा 26 एयर, ख0नं0 443 रकबा 76 एयर, ख0नं0 444 रकबा 17 एयर, ख0नं0 446 रकबा 17 एयर, ख0नं0 463 रकबा 8 एयर कुल रकबा 1.44 हैक्टर

ई प्रतिवादी गोमतीदेवी पत्नि बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी महूखुर्द की खातेदारी में भूमि ख0नं0 436 रकबा 26 एयर ग्राम छावा रहेगी ।

इसी अनुसार पक्षकारों के पृथक पृथक खाते कायम कर भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे एवं अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE
Re.1 INDIA

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर०ए०एस०

उनवान

नारायणसिंह पुत्र फोमसिंह जाति राजपूत निवासी छाबा तहसील गंगापुरसिटी —वादी

बनाम

1. चंवरसिंह पुत्र फोमसिंह जाति राजपूत निवासी छाबा तहसील गंगापुरसिटी
2. श्रीमति गोमती देवी पत्नि बनवारी लाल पाराशर जाति ब्राह्मण निवासी महूखुर्द तहसील गंगापुरसिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुरसिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 79/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामभरोसी जोशी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई — मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वाद वादी डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. वादी नारायणसिंह पुत्र फोमसिंह जाति राजपूत सा० देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख०नं० 436/2 रकबा 52 एयर, ख०नं० 441 रकबा 33 एयर, ख०नं० 443 रकबा 44 एयर, ख०नं० 444/1 रकबा 17 एयर, ख०नं० 446/1 रकबा 16 एयर, ख०नं० 463/1 रकबा 9 एयर कुल रकबा 1.71 हैक्टर ग्राम छावा रहेगी।
2. प्रतिवादी चंवरसिंह पुत्र फोमसिंह जाति राजपूत सा० छावा की खातेदारी में भूमि ख०नं० 436/1 रकबा 26 एयर, ख०नं० 443 रकबा 76 एयर, ख०नं० 444 रकबा 17 एयर, ख०नं० 446 रकबा 17 एयर, ख०नं० 463 रकबा 8 एयर कुल रकबा 1.44 हैक्टर ग्राम छावा रहेगी ।
3. प्रतिवादी गोमतीदेवी पत्नि बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी महूखुर्द की खातेदारी में भूमि ख०नं० 436 रकबा 26 एयर ग्राम छावा रहेगी ।

इसी अनुसार पक्षकारों के पृथक पृथक खाते कायम कर भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे एवं अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

आज दिनांक 27.10.2014 को डिक्री जारी की गई ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		